

M87P/D4 • No - 865
18/12/14

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
Department of Revenue
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
(Income-tax)

CORRIGENDA

New Delhi, dated the 16 December, 2014

S.O. (E) In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, number S.O.2752(E), dated the 22nd October, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd October, 2014, in-Schedule-I,

- (a) against serial number 22, in column (6), --
 - (i) in item (b), for "item (a) above", read "item (a) above and item (c) below";
 - (ii) in item (c), for "item (c)", read "item (a) and item (c)";
- (b) against serial number 144, in column (5),-
 - (i) in item (g), for "item (b)", read "item (c)";
 - (ii) in item (h), for "item (c)", read "item (e)";
- (c) against serial number 232, in column (4), for "Gumla and Simdega", read "Gumla, Simdega and Khunti";
- (d) against serial number 235, in column (4), for "Chatra and Bokaro" read "Chatra, Bokaro and Ramgarh";
- (e) against serial number 237, in column (4),-
 - (i) in item (b), omit "411012, 411027, 411031";
 - (ii) in item (b), for "411057", read "411057 (excluding areas covered by Pimpri Chinchwad Municipal Corporation)";
- (f) against serial number 240, in column (4),-
 - (i) in item (a), for "411057" read "411057, 411061, 411062, 412101, 412105, 412109";
 - (ii) in item (b), for "Dehu Cantonment", read "Dehu Road Cantonment and Haveli Taluka";
- (g) against serial number 241, in column(4), in item (b), for "412210", read "412110";
- (h) against serial number 244,-
 - (i) in column (4), in item (c), omit "Shahapur Taluka, Bhiwandi Taluka, Murbad Taluka";
 - (ii).in column (6), in item (h), omit "whose principal source of income is from 'Salary' and";
- (i) against serial number 245, -
 - (a) in column (5), after item (b), insert "(bb) persons other than companies and co-operative societies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned at item (b) of column (4)";
 - (b) in column (6),-
 - (i) in item (c), for "item (c)", read "item (bb) and (c)";
 - (ii) in item (f), for "item (f)" read "item (f), (g)";
- (j) against serial number 246, in column (6), in item (e), for "item (h)", read "item (g), (h)".

[Notification No. 8/ /2014. F. No. 187/38/2014 (ITA.I)]

DEEPSHIKHA SHARMA
Director to the Government of India

To

The Manager
Government of India Press
Ring Road, Mayapuri Industrial Area (Near Rajouri Garden), New Delhi.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II; खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(आयकर)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, दिनांक १६ दिसम्बर, 2014

का.आ.....(अ) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं. का.आ. 2752(अ), दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 को प्रकाशित की गई थी, की अनुसूची-1 में:-

(क) क्रम सं. 22 के समक्ष, कॉलम (6) में,-

(i) मद (ख) में, “उपर्युक्त मद (क)” के स्थान पर “उपर्युक्त मद (क) और निम्न मद (ग)” पढ़ा जाए;

(ii) मद (ग) में “मद (ग) के स्थान पर “मद (क) और (ग)” पढ़ा जाए;

(ख) क्रम सं. 144 के समक्ष, कॉलम (5) में,-

(i) मद (छ) में, “मद (ख)” के स्थान पर “मद (ग)” पढ़ा जाए;

(ii) मद (ज) में “मद (ग)” के स्थान पर “मद (ड)” पढ़ा जाए;

(ग) क्रम सं. 232 के समक्ष, कॉलम (4) में “गुमला और सिमडेगा” के स्थान पर “गुमला, सिमडेगा और खुंटी” पढ़ा जाए;

(घ) क्रम सं. 235 के समक्ष, कॉलम (4) में “चतरा और बोकारो” के स्थान पर “चतरा, बोकारो और रामगढ़” पढ़ा जाए;

(ङ.) क्रम सं. 237 के समक्ष, कॉलम (4) में,-

(i) मद (ख) में “411012, 411027, 411031” को हटा दिया जाए;

(ii) मद (ख) में “411057” के स्थान पर “411057 (पिम्परी चिंचवाड़ नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को छोड़ कर)” पढ़ा जाए;

(च) क्रम सं. 240 के समक्ष, कॉलम (4) में,-

(i) मद (क) में “411057” के स्थान पर “411057, 411061, 411062, 412101, 412105, 412109” पढ़ा जाए;

(ii) मद (ख) में, “देहू कैटोनमेंट” को “देहू रोड कैटोनमेंट और हवेली तालुका” पढ़ा जाए;

(छ) क्रम सं. 241 के समक्ष, कॉलम (4) में, मद (ख) में “412210” के स्थान पर “412110” पढ़ा जाए;

(ज) क्रम सं. 244 के समक्ष,-

(i) कॉलम (4) में, मद (ग) में “शाहपुर तालुका, भिवंडी तालुका, मुरबद तालुका” को हटा दिया जाए;

(ii) कॉलम (6) में, मद (ज) में “जिनकी आय का मुख्य स्रोत वेतन है और” को हटा दिया दिया जाए;

- (ज्ञ) क्रम सं. 245 के समक्ष,-
- (क) कॉलम (5) में, मद (ख) के बाद “(खख) कंपनियों और सहकारी सोसाइटी से भिन्न व्यक्ति जोकि कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और कॉलम (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास करते हैं”, अंतःस्थापित किया जाए;
- (ख) कॉलम (6) में-
- (i) मद (ग) में, “मद (ग)” के स्थान पर “मद (खख) और (ग)” पढ़ा जाए;
 - (ii) मद (च) में, “मद (च)” के स्थान पर “मद (च), (छ)” पढ़ा जाए;
- (ज) क्रम सं. 246 के समक्ष, कॉलम (6) में, मद (ड.) में, “मद (ज)” के स्थान पर “मद (छ),(ज)” पढ़ा जाए।

[अधिसूचना संख्या४/...../2014 फा.सं. 187/38/2014-आयकर नि-।]

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में:

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।